शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2017/8155 भोपाल, दिनांक— 9-11-17

प्रति,

कलेक्टर
मण्डला/डिण्डोरी/खंण्डवा
म0प्र0

विषयः—न्यू एजूकेशन ग्रुप फाउन्डेशन फार इनोवेशन एण्ड रिसर्च इन एजूकेशन संस्था, नई दिल्ली को संबंधित जिलों के चयनित विकासखण्ड में मातृभाषा आधारित बहुभाषायी शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण पर कार्य करने की अनुमति विषयक।

संस्था, द्वारा प्रस्तुत योजना पर शासन से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार किये गये अनुबंध में संस्था द्वारा मण्डला जिले के मवई विकासखण्ड की 264 प्राथमिक शालायें तथा डिण्डोरी जिले के समनापुर ब्लॉक की 191 प्राथमिक शालाओं में आगामी तीन वर्षो (2017 से 2020 तक)तक तैयार मातृभाषा आधारित बहुभाषायी शिक्षा शिक्षण पुस्तकों के आधार पर बच्चों को स्थानीय भाषा में पठन पाठन गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जायेगी। संस्था द्वारा मण्डला,डिंडोरी एवं खंडवा जिले में निम्नांकित गतिविधियां आयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1—मण्डला जिले के मवई विकासखण्ड एवं डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखण्ड में स्थानीय भाषा गोंडी एवं बैगा में तैयार की गई पुस्तकों के आधार पर संबंधित शालाओं के शिक्षकों को डाईट/बीआरसी के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान करना। तथा टीएलएम एवं अन्य पठन—पाठन से सबंधित सामग्री शिक्षकों एवं सबंधित शालाओं में उपलब्ध कराना। शिक्षकों को पठन—पाठन गतिविधियों में आने वाली समस्याओं पर शिक्षकों को आन साईट सपोट प्रदान करते हुये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।

2—खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड में प्रथम वर्ष 15 शालाओं में पायलट आधार पर डाईट/बीआरसी,एवं स्थानीय भाषा के विशेषज्ञों के सहयोग से कार्य करना तथा बेस लाईन के आधार पर स्थानीय भाषा में शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। सामग्री का अनुमोदन सक्षन कोरग्रुप तथा संस्था के माध्यम से करने के उपरांत समस्त खालवा विकासखण्ड के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हुये आवश्यक सामग्री शालाओं में उपलब्ध कराते हुये स्थानीय भाषा में पठन—पाठन प्रकिया प्रारंभ करना।

अन्य शर्तें—

1—संस्था समस्त कार्य अपने वित्तीय संशाधनों से संपन्न करेगी।

2—संस्था प्राचार्य डाईट के सहयोग से शिक्षकों का प्रशिक्षण अपने वित्तीय साधनों से संपन्न करायेगी। प्रशिक्षण के पूर्व रिसोर्स पर्सन की सूची तथा प्रशिक्षण माड्यूल डाईट की अनुशंसा के साथ राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करना होगा जिसके आधार पर प्रशिक्षण की अनुमति राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी। जिसके आधार पर डाईट द्वारा शिक्षकों का आमंत्रण निर्धारित स्थल हेतु करते हुये प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करेगी।

3—संबंधित शालाओं में प्रारंभिक जांच (Base-line) संपन्न किया जायेगा, तथा कार्यकम के अंत में अंतिम जांच (End-Line) की जायेगी। जिसके आधार पर प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

संस्था समस्त शिक्षण सामग्री शासन के माध्यम से संचालित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही निर्मित करेगी। जिसका अनुमोदन स्थानीय स्तर पर प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति से प्राप्त कर राज्य को सूचित करना होगा।

5–जिले स्तर पर संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो की प्रतिमाह समीक्षा प्राचार्य डाईट की अध्यक्षता में जिला परियोजना समन्वयक, एपीसी अकादमिक एवं बीआरसी तथा संबंधित बीएसी ,स्थानीय भाषा के रिसोर्स पर्सन एवं संस्था प्रतिनिधियों के जिला स्तरीय गठित कोरग्रुप के द्वारा की जायेगी । जिसकी रिपोर्ट राज्य को प्रेषित की जायेगी। जिसकी समीक्षा राज्य स्तर पर प्रत्येक तीन माह में की जायेगी।

6–समीक्षा के दौरान अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अनुसार कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर संस्था के साथ अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

7–अन्य शर्ते अनुबंध में उल्लेख अनुसार संपादित करने हेतु संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार न्यू एजूकेशन ग्रुप फाउन्डेशन फार इनोवेशन एण्ड रिसर्च इन एजूकेशन संस्था नई दिल्ली को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न–एमओयू

(लोकेश कुमार जाटव)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2017/8156 भोपाल, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि–

1–निज सचिव माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0शासन भोपाल
2–प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0शासन भोपाल
3–आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल
4–आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म0प्र0शासन भोपाल
5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला/डिंडोरी/खंडवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6 श्री वेंगाटेश कृष्णा सुन्दरम,कार्यकारी निदेशक न्यू एजूकेशन ग्रुप फाउन्डेशन फार इनोवेशन एण्ड रिसर्च इन एजूकेशन संस्था नई दिल्ली ए–1,तृतीय तल सर्वोदय इन्क्लेव नई दिल्ली–110017
7–संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण इन्दौर संभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8–सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मण्डला/डिंडोरी/खंडवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9–जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त मण्डला/डिंडोरी/खंडवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10–प्राचार्य डाईट मण्डला/डिंडोरी/खंडवा म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11–जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला/डिंडोरी/खंडवा म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12–बीआरसी जिला मण्डला–मवई,डिंडोरी–रागनापुर,खण्डवा–खालवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र